क्रम-संख्या–206(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2025

पौष 5, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 2017/छः-पु0-9–2025-1723434
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

(शक्ति)

प0आ0–231

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, जनपद अयोध्या में आगामी समय में मकर संक्रांति व बसंत पंचमी मेला, हाईस्कूल/इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा, महाशिवरात्रि, होली, चैत्र रामनवमी मेला, ईद–उल–फितर आदि त्योहारों व जनपद में आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत जनपद में लोक शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने हेतु जनपद में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन लेवल–6 रू0 35400–112400 (पूर्व वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800, पे–ग्रेड रू0 4200) या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 30 जून, 2026 तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे जनपद अयोध्या की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,
मोहित गुप्ता,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2017/VI-P-9–2025-1723434, dated December 26, 2025:

No. 2017/VI-P-9–2025-1723434

Dated Lucknow, December 26, 2025

IN exercise of the power under Section 15 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), the Governor is pleased to appoint from the date of issue of notification till June 30, 2026 for Festivals like Makar Sankranti, Basant Panchmi Mela, High School/ Intermediate Board Exams, Mahashivratri, Holi, Chaitra Ram Navmi Mela, Eid-ul-Fitr and other events in the District to maintain law & order, all Gazetted Officers and Subordinate Gazetted Officers of all departments of the State Government posted in District and all Officers holding posts carrying the Pay Level-6 Rs. 35400-112400 (Previously Pay Band-2 Rs. 9300-34800, Pay Grade Rs. 4200) and above in Local Authorities and Corporations or Bodies owned and controlled by the State Government, posted in District Ayodhya, as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Sanhita on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of District Ayodhya, in which they are for the time being posted.

By order,
MOHIT GUPTA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 327 राजपत्र–2025–(1002)–599+10=609 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

327 RPH (Grih Police) Anu.-9-2025-data-1e